क्रमांक................ मूल्य रू. 500/–

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र हेतु

साँची घी सुपर स्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु

आवेदन प्रपत्र

वर्ष 2026–2027

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

डेयरी संयंत्रः करौंदानाला, इमलिया, अधारताल,जबलपुर

टोल फ्री नंबर–9406900500

E-mail :marketing.jds@sanchidairy.com
jabalpur.sanchi@gmail.com

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर
पंजीकृत कार्यालय, करौंदा, इमलिया, कटनी रोड, अधारताल, जबलपुर
कस्टमर केयर नंबर–9406900500,
E,mail-marketing.**jds@sanchidairy.com jabalpur.sanchi@gmail.com**

क. 1267/जेएसडीएस/विप.–110/147/2026/ जबलपुर दिनांकः 09.07.2026

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर में साँची घी सुपर स्टॉकिस्ट हेतु ई.ओ.आई. आमंत्रण की सूचना

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर कार्यक्षेत्र में साँची घी के सुव्यवस्थित वितरण एवं विक्रय के लिये एक वर्ष हेतु सुपर स्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से ई.ओ.आई. दस्तावेज दिनांक 17.07.2026 तक आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक आवेदनकर्त्ता/ कंपनी/फर्म आवेदन को एमपीसीडीएफ की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर देखा जा सकता है एवं आवेदन प्रपत्र निर्धारित मूल्य रू. 500/– का भुगतान कर वेबसाईट www.mptenders.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।

प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ राशि रू. 1,00,000/– (रू. एक लाख मात्र) की अमानत राशि (ई.एम.डी.) दुग्ध संघ में जमा कर करना अनिवार्य है। बिना ई.एम.डी. के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे। दुग्ध संघ के हित में किसी भी आवेदन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के पास निहित होगा। इस संबंध में कोई भी संशोधन होता है तो वह वर्णित वेबसाईट के अलावा अन्यंत्र कहीं भी प्रदर्शित नहीं की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

आवेदन प्रपत्र का कार्यक्रम प्रपत्रों की जानकारी

1	आवेदन प्रपत्र विक्रय आरंभ करने की तिथि एवं समय	दिनांक 10.07.2026 प्रातः 11 बजे
2	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	17.07.2026 दोपहर 1:00 बजे
3	आवेदन प्रपत्र जमा करने की तिथि एवं समय	17.07.2026 दोपहर 2:00 बजे
4	आवेदन प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय	18.07.2026 दोपहर 3:00 बजे
5	आवेदन प्रपत्र के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि (ई.एम.डी.)	रू.1.00 लाख (रू एक लाख मात्र)
6	आवेदन खोलने का स्थान एवं समय	जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर करौंदा, इमलिया मोड, जबलपुर
7	सुपर स्टॉकिस्ट हेतु तकनीकी अर्हताओं का प्रारूप	प्रपत्र– 01
8	सुपर स्टॉकिस्ट की सामान्य शर्ते	प्रपत्र– 02
9	चयन हेतु अंक तालिका	प्रपत्र– 03
10	आवेदन प्रपत्र	प्रपत्र– 04
11	अनुबंध का प्रारूप	प्रपत्र– 05
12	शपथ पत्र	प्रपत्र– 06
13	दर संरचना	प्रपत्र– 07

आवेदन प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि–

- प्रपत्र क्र. 01 से 06 तक को पृथक–पृथक बंद लिफाफे में प्रपत्र क्र. लिखकर एक बडे लिफाफे पर जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ हेतु साँची घी विक्रय सुपर स्टॉकिस्ट हेतु आवेदन तथा लिफाफे पर प्रेषक का नाम एवं पता अंकित करें।
- बिना ई.एम.डी. राशि एवं अपूर्ण दस्तावेज के प्रस्तुत किये गये आवेदन मान्य नहीं होंगे।
- आवेदनकर्त्ता द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर अपने हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

तकनीकी अर्हताऐं

क्र.	तकनीकी अर्हता	संलग्न	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज
1.	आवेदनकर्ता (सोल प्रोप्राइटशिप फर्म / पार्टनर शिप फर्म / कम्पनी / पंजीकृत सहकारी संस्था अथवा अन्य)		प्रोप्राइटर पंजीयन प्रमाण पत्र / पार्टनरशिप डीड / पंजीयन प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति।
2.	आवेदनकर्ता का पेनकार्ड नम्बर ।		पेनकार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें
3.	आवेदनकर्ता का जी.एस.टी नम्बर अथवा नया कार्य प्रारंभ करने की दशा में आवेदन की प्रति।		जी.एस.टी. नम्बर की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
4.	आवेदनकर्ता के बैंक का नाम व (Current) चालू खाता क्रमांक।		बैंक खाते का एक स्वप्रमाणित निरस्त मूल चेक सलंग्न करें।
5.	आवेदनकर्ता को एक वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 का आयकर जमा (ITR) विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।		आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष की आयकर विवरणी।
6.	आवेदनकर्ता के पास स्वयं का वैध FSSAI लायसेन्स । (सुपर स्टॉकिस्ट / वितरक हेतु निर्धारित)		वैध FSSAI लायसेन्स की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
7.	राशि रू. 100000 / –ई.एम.डी.		राशि रू. 100000 / –ई.एम.डी.
8.	–आवेदनकर्ता एमपीसीडीएफ अथवा किसी भी दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी / कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रक्त संबंधी एवं आश्रित परिवार का सदस्य नहीं है। –आवेदनकर्ता का एमपीसीडीएफ एवं इसके अधीनस्थ दुग्ध संघों / अन्य स्थानीय दुग्ध संघो में किसी भी कार्य हेतु रिकार्ड खराब नही है। –आवेदनकर्ता के विरूद्ध किसी भी थाने में आर्थिक अथवा अन्य अपराध संबंधी प्रकरण दर्ज नहीं है। ***(इस बाबत् रू. 100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र)***		आवेदन प्रपत्र क्रमांक 06 पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में रू.100 / – के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटराईज्ड कराकर संलग्न करें।
9.	आवेदनकर्ता यदि वर्तमान में एमपीसीडीएफ / इसके अधीनस्थ दुग्ध संघ के साथ किसी भी कार्य हेतु अनुबंधित / कार्यरत हैं व आवेदन प्रस्तुत कर रहे है तो संबंधित दुग्ध संघ का NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।		मूल अनापत्ति प्रमाण पत्र परिशिष्ट 'द' पर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।
10.	स्मान व्यवसाय अथवा एफएमसीजी कार्य में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।		तत्संबंध में व्यक्ति / संस्था / फर्म स्वयं के लेटर हेड में अनुभव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

नोटः—1. उक्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना एवं आवेदन स्वीकृत होने पर मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।

2. उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी चयन प्रक्रिया के दौरान/कार्य आवंटन के पश्चात्/अनुबंध के पश्चात् भविष्य में कभी भी असत्य पायी जाती है तो सुपर स्टॉकिस्ट की एजेंसी को निरस्त कर संपूर्ण अमानत राशि राजसात की जा सकेगी जो मुझे मान्य है तथा ऐसा होने पर मेरे द्वारा कोई भी न्यायिक अथवा अन्य कार्यवाही नहीं की जावेगी।

हस्ताक्षर
नाम—————————————
पता—————————————

जिला—
पिनः—
मोबाईल नं.————————————
ई.मेलः—

प्रपत्र क्रमांक–02

सुपर स्टॉकिस्ट हेतु सामान्य शर्ते

1. आवेदनकर्त्ता को आवेदन के साथ स्व प्रमाणित (हस्ताक्षर कर) पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
2. आवेदनकर्त्ता को आवेदन के साथ रू. 1.00 (रू. एक लाख मात्र) का अमानत राशि (ई.एम.डी) के रूप मे जमा करना अनिवार्य होगा। अमानत राशि (ई.एम.डी) जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा। ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
3. सुपर स्टॉकिस्ट को दुग्ध संघ में आवेदन स्वीकृति सूचना उपरांत प्रतिभूति राशि रू. 2.0 लाख जमा करनी होगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। ई.एम.डी. राशि का समायोजन भी प्रतिभूति राशि में किया जावेगा।
4. सुपर स्टॉकिस्ट के पास एफएमसीजी वस्तुओं का पूर्व वितरण अनुभव एवं विगत 3 वित्तीय वर्षो में 03 करोड़ का टर्न ओवर होना आवश्यक होगा। टर्न ओवर को सत्यापित करने हेतु चार्टड एकाउण्टेण्ट द्वारा हस्ताक्षरित एवं सील लगी बैलेंस सीट संलग्न करनी होगी।
5. सफल आवेदक को घी के निर्धारित मापदंड अनुसार ठण्डे, स्वच्छ, धूल व नमी रहित स्थान धूप से बचाकर भंडारण हेतु 10 मी. टन क्षमता के गोडाउन की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही वितरण कार्य में लगाए जाने वाले कम से कम 03 वाहन जिसकी परिवहन क्षमता 1.50 से 2.00 टन (प्रत्येक वाहन की पृथक–पृथक) होकर तीन ओर से कवर्ड, एक ओर दरवाजा होगा, की व्यवस्था भी करना होगी। वितरण वाहनों की बॉडी समतल होगी, जिससे दुग्ध संघ के मापदंड अनुसार विज्ञापन को स्वयं के व्यय पर लगाना होगा तथा उसे प्रतिवर्ष बदलना होगा। इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज जैसे गोदाम किराया अनुबंध या भंडारण स्थल की रजिस्ट्री आदि तथा वाहन रजिस्ट्रेशन फिटनेस भी जमा करवाने होंगे। वाहन पर संलग्न किए जाने वाले वाहन चालक/परिचालक के स्वयं द्वारा सत्यापित परिचय पत्र (नाम, पिता का नाम, पासपोर्ट साईज फोटो स्पाकर, वर्तमान निवास, मूल निवास, मोबाईल नंबर आदि) वैध लाईसेंस की छायाप्रति कार्यालय में देना होगी। इसी तरह उक्त स्टॉफ में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना उपरोक्तानुसार देना अनिवार्य होगा एवं यही मापदंड नये कर्मी के लिए भी रहेंगे।
6. सुपर स्टॉकिस्ट को अपनी मांग कम से कम दो दिवस पूर्व दुग्ध संघ को लिखित में देनी होगी एवं एक दिवस अग्रिम भुगतान करना होगा। किन्तु दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध अनुसार मांग की पूर्ति डेयरी डॉक से किया जावेगा।
7. दुग्ध संघ की निर्धारित नीति अनुसार प्रदाय होने वाले साँची घी की अग्रिम राशि का भुगतान एंक दिवस पूर्व प्राप्त होने पर ही प्रदायगी की जावेगी। शासकीय अवकाश की तिथियों में प्रदायगी तभी की जावेगी जब एक दिन पूर्व के कार्य दिवस को समस्त धनराशि अग्रिम दुग्ध संघ में प्राप्त हो जावेगी। अतः ऐसे आवेदक की आवेदन प्रस्तुत करें, जो वित्तीय रूप से सुदृढ़ हो।

8. सुपर स्टॉकिस्ट के पर्यवेक्षक/वाहन चालक, वाहनों में हो रहे साँची घी लोडिंग के पूर्व यह सुनिश्चित् करेगें कि घी हर तरह से अर्थात गुणवत्ता, लीकेज, वजन, पैकेट आदि से अच्छा है, इसके पश्चात् दुग्ध संघ किसी भी रूप में उत्तरदायी नही रहेगा। एक बार वाहन डिस्पैच होने के पश्चात् घी किसी भी दशा में वापस नहीं लिया जाएगा। न ही रिप्लेसमेन्ट दिया जाएगा।
9. यह कि अनुबंधित अवधि में प्रतिमाह 15 टन घी बेचना अनिवार्य होगा (न्यूनतम)/यदि लगातार दो माह में इससे कम घी बेचा जाता हैं, तो प्रतिभूति राशि में से रूपये 1 लाख का समायोजन पैनाल्टी बतौर दुग्ध संघ खाते में कर लिया जाएगा एवं बिना किसी सूचना के सुपर स्टॉकिस्ट कार्य निरस्त कर दिया जावेगा।
10. सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा भेजा जाने वाला वाहन यदि रास्ते में खराब होता है तो सुपर स्टॉकिस्ट का प्रमुख दायित्व रहेगा कि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करेगा।
11. सुपर स्टॉकिस्ट सम्पूर्ण क्षेत्र में किन्ही विपरीत परिस्थिति जैसे शहर बंद, कर्फ्यू, निजी व्यवसायियों की उपभोक्ताओं को साँची घी प्रदाय नहीं करने संबंधी हड़ताल आदि में शामिल नही होगा। प्रदायगी प्रशासन के दिशा निर्देश अनुसार करना होगा।
12. सुपर स्टॉकिस्ट को संघ की निर्धारित शर्तों अनुसार रूपये 1,000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध, जमानतदार सहित निष्पादित करना होगा। यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को केवल साँची घी वितरण/विक्रय हेतु पूर्णतः अस्थाई रूप से 01 वर्ष की अवधि हेतु सुपर स्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता नियुक्त किया जावेगा। तत्पश्चात कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति संतोषजनक होने पर वृद्धि करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ के पास निहित होगा।
13. सुपर स्टॉकिस्ट को वितरकों से मांग प्राप्त होने के दो दिवस में साँची घी प्रदाय करना होगा अन्यथा दुग्ध संघ द्वारा वितरकों/विक्रेताओं/उपभोक्ताओं को सीधे साँची घी प्रदाय किया जावेगा। इस प्रकार प्रदायित साँची घी की मात्रा पर सुपर स्टॉकिस्ट को कोई कमीशन देय नहीं होगा।
14. सुपर स्टॉकिस्ट को एक माह का पूर्व अग्रिम सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में सुपर स्टॉकिस्ट कार्य बंद करने का अधिकार प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ का होगा। इसके लिए प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ किसी भी तरह की न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। सुपर स्टॉकिस्ट कार्य नही करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ को 1 माह का अग्रिम लिखित नोटिस सुपर स्टॉकिस्ट (साँची घी) का कार्य छोड़ने बाबद् देना होगा।
15. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, MPCDF को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आर्बीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
16. दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों तथा दुग्ध शीतकेन्दों को प्रदाय किये जाने वाले साँची घी की मात्रा पर भी सुपर स्टॉकिस्ट को कोई कमीशन देय नहीं होगा। संघ के कार्यरत वितरकों को संघ द्वारा वितरक दर में घी प्रदाय करने पर सुपर स्टॉकिस्ट को कोई कमीशन देय नहीं होगा।
17. इस अनुबंध का न्यायायिक कार्यक्षेत्र जबलपुर शहर का न्यायालय में रहेगा।
18. टंकण त्रुटि या किसी भी कारण से शर्तों में अस्पष्टता होने से उक्त शर्तों को स्पष्ट करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

19. सफल आवेदक को विधिसम्मत उत्तराधिकारी घोषित करना होगा। अनुबंधकर्ता की मृत्यु होने की दशा में अधिकृत उत्तराधिकारी द्वारा अनुबंध की शेष अवधि में सुपर स्टॉकिस्ट कार्य किया जा सकेगा तथा उत्तराधिकारी समस्त लेनदारी–देनेदारी का निराकरण करेगा।
20. यह कि अनुबंध की पूर्ति हेतु दो जमानतदार द्वितीय पक्ष को देना अनिवार्य होगा तथा उक्त जमानतनामे भी इस इकरारनामें के परिशिष्ट के रूप में इसका अंग माने जावेंगे एवं वह द्वितीय पक्ष एवं उस के जमानतदारों पर बंधनकारक रहेंगे। द्वितीय पक्षकार के आवंटन निरस्ती पर यदि द्वितीय पक्षकार पर दुग्ध संघ की कोई बकाया राशि निकलती है तो जमानतदारों से भी उसकी वसूली की जा सकेगी।
21. यह कि स्थानीय क्षेत्रीय निकाय द्वारा किसी प्रकार का कर अथवा उपकर विक्रीत होने वाले घी पर लगाया जाता है तो उसका वहन द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा, प्रथम पक्ष उसमे किसी भी प्रकार का सहयोग नही देगा।
22. यह कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्था के अधिकारियों द्वारा यदि संघ निर्मित घी के सेंपल की माँग की जाती है, तो द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट उन्हें सील बंद इकाई (घी) देवेंगे, किसी भी स्थिति मे खुला घी नही देंगे, अन्यथा प्रथम पक्ष किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा। साथ ही सेंपल होने की सूचना तत्काल दूरभाष पर एवं पश्चात दस्तावेजी प्रतियॉ भी कार्यालय मे 03 घण्टे की समय अवधि मे देना अनिवार्य होगी।
23. द्वितीय पक्ष के वितरण वाहन को किसी भी स्थान पर दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आकस्मिक निरिक्षण किया जा सकता है। यदि आकस्मिक निरीक्षण के दौरान वितरण वाहन में आपत्तिजनक/प्रतिबंधित वस्तुऐं एवं प्रतिस्पर्धी ब्राण्डों के घी अथवा अन्य चीजें पायी जाती है ंतो द्वितीय पक्ष को तत्काल ब्लेक लिस्टेड कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेंगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही द्वितीय पक्ष की होगी।
24. सुपर स्टॉकिस्ट को कार्यक्षेत्र में निर्देशानुसार नटवर्क स्थापित कर लक्ष्य अनुसार विक्रय करना अनिवार्य होगा।
25. यह कि द्वितीय पक्ष या द्वितीय पक्ष का स्टॉफ कार्यालय में किसी अधिकारी/कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। द्वितीय पक्ष तत्काल ऐसे स्टॉफ को कार्य से पृथक करेगे अन्यथा द्वितीय पक्ष या इनके स्टॉफ द्वारा अनशासनहीनता करने पर उनका ठेका तुरन्त निरस्त कर उनका नाम ब्लैक लिस्ट में लगाया जावेगा।
26. दुग्ध संघ की ब्राण्डिंग का दुरूपयोग नहीं हो जैसे :– जालसाजी, डूप्लीकेटिंग में पाये जाने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ब्लेक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
27. सुपर स्टॉकिस्ट विज्ञापन एवं ब्राण्ड प्रमोशन में पूर्ण सहभागिता देगा एवं आवश्यकता अनुसार प्रचार–प्रसार हेतु फंड भी उपलब्ध करवाएगा।
28. किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त/स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

29. प्राप्त आवेदनों की समीक्षा गठित समिति के द्वारा जावेगी एवं समिति अपनी अनुशंसा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दुग्ध संघ हित में लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
30. आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्त्ता की अर्नेस्ट मनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
31. वर्तमान में दुग्ध संघ के साथ कार्य कर रहे किसी भी वितरक/वितरक सहपरिवहनकर्त्ता/सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा इस प्रक्रिया में भाग लिया जाता है तो आवेदन स्वीकृत होने के एक सप्ताह के अंदर वर्तमान अनुबंध से संबंधित लेनदारी–देनदारी का पूर्ण हिसाब कर राशि दुग्ध संघ में जमा करनी होगी। अन्यथा अनुबंध स्वतः निरस्त होकर ई.एम.डी. राशि राजसात हो जावेगी तथा भविष्य के लिये ऐसी पार्टी को ब्लेक लिस्ट किया जावेगा।
32. घी सुपर स्टॉकिस्ट हेतु जारी इस E.O.I. में घी उत्पादनकर्ता फर्म को पात्रता नहीं रहेगी।
33. सुपर स्टॉकिस्ट का चयन आवेदन फार्म में संलग्न प्रपत्र क्रमांक 03 में दर्शित विभिन्न पैरामीटर के लिये अधिकतम अंको आधार पर किया जावेगा। जिस आवेदक के अधिकतम अंक होंगे उसे सुपर स्टॉकिस्ट हेतु चयनित किया जावेगा अथवा न्यूनतम 70 अंक प्राप्त होने पर मूल्यांकन के आधार पर एक आवेदन प्राप्त होने पर भी सुपर स्टॉकिस्ट नियुक्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है। यदि दो या दो अधिक आवेदकों को एक समान अंक प्राप्त होते हैं तो सुपर स्टॉकिस्ट का चयन समिति सदस्यों एवं उपस्थित आवेदकों के समक्ष लॉटरी द्वारा किया जावेगा।

मेरे/हमारे द्वारा साँची घी सुपर स्टॉकिस्ट हेतु आवेदन की समस्त शर्ते एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ व समझ ली हैं तथा मैं/हम शर्तो को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/हैं। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्ण सत्य है। मेरे/हमारे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी कभी भी असत्य प्रमाणित होती है या मैं/हम आवेदन की शर्ते एवं अनुबंध में वर्णित शर्तो का पालन नहीं करता हूँ/हैं तो मेरा/हमारा आवेदन/अनुबंध निरस्त कर अर्नेस्ट मनी/प्रतिभूति राशि राजसात करने का प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जाता है तो इस हेतु मैं/हम अपनी सहमति देता हूँ/हैं।

हस्ताक्षर

नाम————————————————

पता————————————————

जिला–

पिनः–

मोबाईल नं.————————————

ई.मेलः–

प्रपत्र क्रमांक–03

सुपर स्टॉकिस्ट हेतु अंक तालिका

क्र.	विवरण	अंक पद्धति	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक
1	जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र में घी/एफएमसीजी वितरण एवं विक्रय का अनुभव	प्रत्येक वर्ष के 5 अंक निर्धारित	15	
2	टर्नओवर	विगत 3 वर्षो के कुल टर्नओवर रू. –5 करोड़ पर 20 अंक उसके उपर प्रत्येक करोड 3 अंक दिये जायेंगे।	35	
3	वितरण हेतु वाहनों की संख्या	प्रति वाहन 5 अंक	15	
4	तकनीकी अर्हता के दस्तावेज	फर्म का पंजीयन–05	5	
		पेनकार्ड–5	5	
		जीएसटी–5	5	
		बैंक का विवरण–5	5	
		एफएसएसएआई–5	5	
		आईटीआर–5	5	
		दुकान का स्थापना पंजीयन–5	5	
कुल अंक			100	

नोटः– यदि दो या दो अधिक आवेदकों को एक समान अंक प्राप्त होते हैं तो सुपर स्टॉकिस्ट का चयन समिति सदस्यों एवं उपस्थित आवेदकों के समक्ष लॉटरी द्वारा किया जावेगा।

हस्ताक्षर

नाम–––––––––––––––––

पता–––––––––––––––––

जिला–

पिनः–

मोबाईल नं.–––––––––––––

ई.मेलः–

प्रपत्र कमांक– 04

सामान्य जानकारी

पासपोर्ट साईजफोटो चस्पाकरे

❖सॉची घी सुपर स्टाकिस्ट हेतु आवेदन प्रपत्र❖

1. आवेदक का नाम ▪ ——————————————
2. पिता/पति का नाम ▪ ——————————————
3. स्थाई पता ▪ ——————————————
 (प्रमाण सहित) ——————————————
 ——————————————
4. वर्तमान व्यवसाय का पता ▪ ——————————————
 ——————————————
 ——————————————

 (अ) ई.मेलः– ▪
 (ब) मोबाईल नं. ▪
5. शैक्षणिक योग्यता ▪ ——————————————
6. वित्तीय स्थिति
 (घी सुपर स्टॉकिस्ट कार्य हेतु लगाई
 जाने वाली पूँजी की व्यवस्था हाँ/नहीं) ▪ ——————————————
7. आवेदक/फर्म का नाम/यदि ▪ ——————————————
 फर्म पार्टनर शिप है तो पार्टनर– ——————————————
 शिप फर्म की पूर्ण जानकारी ——————————————
 (दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना
 अनिवार्य है।
8. वर्तमान व्यवसाय ▪ ——————————————
9. वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओवर ▪ ——————————————
 (टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न करे)

दिनांक– ....

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम ....

अनुबंध–प्रपत्र का प्रारूप

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर........... (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया हैं) एवं **श्री / श्रीमती / मेसर्स**................................ **आत्मज / पति / प्रोपराइटर**.........................., **आयु**–.................. **निवासी**–.. (शहर) में (जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया हैं) के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन आज दिनांक ....को निष्पादित किया गया है :–

1. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को केवल साँची घी वितरक / विक्रय हेतु जबलपुर दुग्ध संघ के संपूर्ण कार्यक्षेत्र के लिये पूर्णतः अस्थाई रूप से एक वर्ष की अवधि के लिये सुपर स्टॉकिस्ट नियुक्त किया जाता है। अवधि पूर्ण होने के उपरांत संपादित अनुबंध स्वतः समाप्त हो जायेगा। जिसे लक्ष्य पूर्ति, वित्तीय व्यवहार एवं कार्य रिपोर्ट संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से वृद्धि करने एवं पुनः अनुबंध करने का अधिकार प्रथम पक्ष में निहित होगा।
2. यह कि वर्तमान में द्वितीय पक्ष द्वारा संघ में प्रतिभूति राशि रू. 1.0 (आरटीजीएस द्वारा) एवं बैंक गॉरंटी 2.0 लाख कुल 3.0 लाख जमा की गई। आरटीजीएस द्वारा जमा की गई राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त (विक्रय वृद्धि की समीक्षा पश्चात्) यदि प्रथम पक्ष द्वारा भविष्य में प्रतिभूति राशि में वृद्धि हेतु निर्देशित किया जाता है तो द्वितीय पक्ष को प्रतिभूति राशि जमा करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा कार्य समाप्त कर दिया जायेगा।
3. यह कि प्रथम पक्ष / दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष / सुपर स्टॉकिस्ट को दुग्ध संघ की निर्धारित नीति अनुसार प्रदाय होने वाले साँची घी की अग्रिम राशि का भुगतान दुग्ध संघ को एक दिवस पूर्व प्राप्त होने पर ही प्रदायगी की जावेगी। शासकीय अवकाश की तिथियों में प्रदायगी तभी की जावेगी जब एक दिवस पूर्व कार्य दिवस को समस्त धनराशि अग्रिम दुग्ध संघ को प्राप्त हो जायेगी।
4. मांग एवं दुग्ध संघ मे उपलब्धता अनुसार साँची घी का प्रदाय उनके प्रचलित वजन / पैकिंग अनुसार प्रदाय किया जावेगा। जिसे द्वितीय पक्ष / सुपर स्टॉकिस्ट उसी ईकाई / केस / कार्टून (साँची घी 1 ली, 500 एमएल, 200 एमएल, 5 लीटर एवं 15 कि.ग्रा.के जार पैक में) प्रदाय करेंगे एवं राशि वसूल करेंगे। किसी भी स्थिति में खुला साँची घी प्रदाय नहीं कर सकेंगे।
5. यह कि प्रथम पक्ष यह महसूस करे कि द्वितीय पक्ष साँची घी का विक्रय / वितरण वितरक / विक्रेताओं की मांग अनुसार दो दिवस में प्रदायगी नही कर पा रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष तत्काल में अपने साधन से साँची घी आपूर्ति करेंगे एवं इस बात की तस्दीक करेंगे कि द्वितीय पक्ष / सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा वितरकों की मांग पूर्ति किन कारणों से

नही की जा रही है। यदि जानबूझ कर लापरवाही की जा रही है जो उसी दिन से प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की सुपर स्टॉकिस्ट एजेंसी समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. यह कि प्रथम पक्ष / दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष / सुपर स्टॉकिस्ट को जो भी लक्ष्य दिये जाते हैं, को प्राप्त करना होगा। लक्ष्य प्राप्ति के अभाव में जो भी राशि मार्जिन के रूप में सुपर स्टॉकिस्ट को दी जावेगी, उसकी 10% राशि दुग्ध संघ सुपर स्टाकिस्ट की जा अमानत राशि जप्त कर सुपर स्टॉकिस्ट एजेंसी निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
7. यह कि प्रथम पक्ष / दुग्ध संघ को यह अधिकार रहेगा कि द्वतीय पक्ष / सुपर स्टॉकिस्ट के द्वारा विक्रय की जा रही मात्रा की समीक्षा प्रतिमाह कर सकेगा, तथा उसी अनुसार सुपर स्टॉकिस्ट कार्य जारी रखना अथवा नहीं का निर्णय लिया जा सकेगा, जिसमें मूलतः विक्रय मात्रा वृद्धि एवं वित्तीय व्यवहार प्रमुख रहेंगे। जिसमें द्वितीय पक्ष / सुपर स्टॉकिस्ट का दबाव अथवा अन्य कारण मान्य नहीं रहेगा।
8. यह कि द्वितीय पक्ष / सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा साँची घी वांछित मात्रा की मांग 48 घंटे के पूर्व नियत अवधि तक अग्रिम लिखित प्रस्तुत करना होगी एवं उसी अनुसार माल उठाया जाना होगा, एक बार मांग दिये जाने पर उसमें किसी प्रकार की कांट–छांट या पैकिंग मात्रा में संशोधन नहीं किया जावेगा।
9. यह कि द्वितीय पक्ष / सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा प्रथम पक्ष / दुग्ध संघ से प्रदायित साँची घी की मात्रा का लेखा–जोखा द्वितीय पक्ष / सुपर स्टॉकिस्ट रखेंगे, एवं प्रथम पक्ष / दुग्ध संघ द्वारा मांग किये जाने पर मय डी.एन. एवं गेट पास की प्रति सहित प्रस्तुत करेंगे।
10. यह कि द्वितीय पक्ष / सुपर स्टॉकिस्ट साँची घी प्राप्त करते समय हर तरह से (पैंकिंग, गुणवत्ता, पैंकिंग तारीख, लीकेज इत्यादि) संतुष्ट होने पर ही प्राप्त करेंगे, संयंत्र से माल आपको अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के सुपुर्दगी पश्चात् किसी भी प्रकार की शिकायत को मान्य नही किया जायेगा।
11. यह कि स्थानीय क्षेत्रीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार का कर अथवा उपकर विक्रित होने वाले साँची घी पर लगाया जाता है तो उसका वहन द्वितीय पक्ष / सुपर स्टॉकिस्ट स्वयं करेगा। प्रथम पक्ष / दुग्ध संघ उसमें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करेगा।
12. यह कि द्वितीय पक्ष को आयकर पेन क्रमांक एवं विक्रय कर संबंधी किन्हीं भी प्रपत्रों की आवश्यकता हेंतु कार्यालय में उक्त दोनों दस्तावेजों की छायाप्रति देना होगा। इसके अभाव में यदि प्रथम पक्ष / दुग्ध संघ को किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही अथवा आर्थिक शास्ति सरकार या अन्य किसी भी संस्था द्वारा अधिरोपित की जाती है तो उसकी भरपाई द्वितीय पक्ष / सुपर स्टॉकिस्ट की जमा प्रतिभूति राशि से की जावेगी।
13. यह कि खाद्य अपमिश्रित अधिनियम के तहत किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्था के अधिकारियों द्वारा यदि संघ द्वारा निर्मित साँची घी के सेम्पल की मांग की जाती है तो द्वितीय पक्ष / सुपर स्टॉकिस्ट उन्हें सीलबंद ईकाई देंगे। किसी भी स्थिति में खुला साँची घी नहीं देंगें अन्यथा प्रथम पक्ष / दुग्ध संघ किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

साथ ही सेम्पल होने की सूचना तत्काल दूरभाष पर एवं पश्चात् दस्तावेजी प्रतियां भी कार्यालय में 3 घंटे की समय अवधि में देना अनिवार्य होगी।

14. यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा साँची घी वितरण परिवहन का कार्य स्वयं के परिवहन साधन एवं व्यय से करना होगा, इस हेतु पृथक से किसी प्रकार का भुगतान प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा नहीं किया जावेगा।
15. यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट साँची घी के वितरण/विक्रय हेतु अधिकृत सुपर स्टॉकिस्ट नियुक्त है। अतः छोटे–छोटे व्यापारियों/वितरक/विक्रेताओं से मधुर व्यवसायी संबंध बनाकर रखना होगा, जिससे साँची ब्राण्ड घी के विक्रय में अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें एवं प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ का माल विक्रय में सहायता मिलती रहे।
16. यह कि उक्त अनुबंध प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ अथवा द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा एक माह के अग्रिम नोटिस देकर समाप्त किया जा सकेगा। जिसमें दोनो पक्षों में लेखा मिलान संतोषप्रद होना आवश्यक रहेगा अन्यथा प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाती है तो उसका हर्जा–खर्चा द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट से वसूल करने का अधिकार प्रथम पक्ष सुरक्षित रखता है।
17. यह कि उक्त अनुबंध दोनों पक्षों के वारिसों पर भी समान रूप से प्रभावशील रहेगा।
18. उभयपक्षों (प्रथम एवं द्वितीय पक्ष) की आपसी सहमति अनुबंध पत्र की शर्तो में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन अथवा संशोधन किया जा सकेगा। आवेदन पत्र की समस्त शर्ते एवं दुग्ध संघ द्वारा जारी पत्र एवं परिपत्र भी इस अनुबंध का हिस्सा माने जावेंगे।
19. यदि पक्षकारों के बीच अनुबंधित कार्य के विषय में कोई विवाद खडा हुआ तो उस स्थिति प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ, भोपाल को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में विवाद के निराकरण हेतु (Arbitrator) Arbitration and conciliation act 1996 के तहत निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।
20. यह कि किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र सहकारी न्यायालय, जबलपुर होगा।
21. सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा कार्यक्षेत्र में स्थित वितरकों आदि को प्रदायित साँची घी की राशि स्वयं वसूलनी होगी, इसके लिये प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ जिम्मेदार नहीं होगा।
22. कार्यक्षेत्र में स्थित डिपार्टमेन्टल स्टोर या मॉल आदि में साँची घी की प्रदायगी सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा की जावेगी। परन्तु यदि ऐसा पाया जाता है कि इन स्टोर/मॉल में सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा प्रदायगी नहीं की जा रही या स्टोर सीधे दुग्ध संघ से क्रय करना चाहते हैं तो दुग्ध संघ किसी भी दर पर सीधे प्रदाय हेतु स्वतंत्र होगा।

उपरोक्त अनुबंध की शर्तो पर दोनों पक्षों की सहमति से यह अनुबंध बिना किसी दबाव एवं पूर्ण होशोहवास में जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के कार्यालय में निम्न गवाहों के समक्ष निष्पादित किया गया जो दोनों पक्षों को मान्य है।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर–482004	हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष) सुपर स्टॉकिस्ट साँची घी नाम————————————— पता————————————— —————————————

गवाह–1

हस्ताक्षर———————

नामः——————————

पताः——————————

——————————————————————————

——————————————————————————

हस्ताक्षर——————————

गवाह–2

नामः——————————

पताः——————————

——————————————————

गवाह–1

हस्ताक्षर———————

नामः——————————

पताः——————————

हस्ताक्षर——————————

गवाह–2

नामः——————————

पताः——————————

——————————————————

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर
करौंदानाला, इमलिया, कटनी रोड, जबलपुर

(शपथ पत्र रू. 100/– के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं/हम ....निवासी...दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत .... (मार्ग/शहर/टाउन का नाम) हेतु साँची घी के सुपर स्टॉकिस्ट कार्य के लिये आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि :–

1. मेरा/हमारा एमपीसीडीएफ भोपाल एवं संबद्ध किसी भी दुग्ध संघों के अध्यक्ष, प्राधिकृत अधिकारी, संचालक मंडल के सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी से किसी भी प्रकार का कोई रक्त/व्यवसायिक संबंध नहीं है एवं न ही मैं आश्रित परिवार का सदस्य हूँ।
2. मुझे/हमें कभी भी एमपीसीडीएफ एवं संबद्ध किसी भी दुग्ध संघ तथा अन्य शासकीय, अर्धशासकीय संस्था द्वारा टर्मीनेट/ब्लेक लिस्टेड नही किया गया है ।
3. मेरे/हमारे विरूद्ध किसी भी माननीय न्यायालय, पुलिस थाने में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है/न ही चल रहा है।

यदि इस संबंध में किसी भी प्रकार से उपरोक्त वचन/शपथ गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर मेरे विरूद्ध जो भी कार्यवाही करेगा मैं/हम उसे मानने को बाध्य रहूँगा/रहेंगे।

दिनांक– ....

हस्ताक्षर

नामः– ....

पताः– ....

....

प्रपत्र क्रमांक–07

Ghee Rate List

S.N.	Pack Size	Super Stockist		Distributor		Retailier		MRP
		Price	Commission	Price	Commission	Price	Commission	
1.	**200 ML**	120.40	1.40	121.80	7.00	128.80	11.20	**140.00**
2.	**500 ML**	289.25	3.25	292.50	9.75	302.25	22.75	**325.00**
3.	**1 Litre**	578.50	6.50	585.00	19.50	604.50	45.50	**650.00**
4.	**5 Litre Jar**	2967.00	32.25	2999.25	64.50	3063.75	161.25	**3225.00**
5.	**15 KG Jar**	9800.00	100.00	9900.00	100.00	10000.00	1000.00	**11000.00**